FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम ....

गंगाराम बौरा बनाम आईदान सिंह बौरा

किस्म मुकदमा रा॰ आवेदन 111, 128 RLR नं. 307/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/10/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री नरपत पूनड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोर्डेट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 03/11/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
03/11/20	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील पश्चात तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 25/11/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
25/11/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील पश्चात अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 04/01/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:15:37 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म

30/11/2021

04/01/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी बाढ़ कोविड डियूटी कार्यों में व्यस्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 20/04/21 को पेश हो।

20/04/21 पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोई उपस्थित नहीं हुआ। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 24/06/2021 को पेश हो।

24/06/21 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 24/11/2021 को पेश हो।

24/11/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनु०। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 में व्यस्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक [illegible] 2021 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:15:37 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/11/2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021 कैम्प ग्राम पंचायत कोलरिया में रखी गई प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षी-गण अनुपस्थित / प्रार्थी के अधिवक्ता की एक-पक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत सेढा मेढ आये हुए है / प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य जो पुरानी माढ व कोठो आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है खेत के सेढो को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है / प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान करने हेतु नेपमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेपमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश किया जाता है कि आप स्वयं या किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेपमबंदी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें / पालना [illegible] शामिल पत्रावली हो, [illegible] होकर दर्ज नम्बर [illegible] Signature Not Verified Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya Date: 2022.10.13 17:15:37 IST Reason: SelfAttested सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1382 दिनांकः– 30/11/21

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. गंगाराम पुत्र भैराराम वगैरा 2
जाति जाट, निवासी नरसाली नाडी
पटवार मण्डल कोलु
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. आईदानसिंह पुत्र शैतानसिंह वगैरा 32
जाति जाट, निवासी नरसाली नाडी
पटवार मण्डल कोलु
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 307 / 2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा –नरसाली नाडी, पटवार मण्डल – कोलु , तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 793 रकबा 9.9750 हैक्टयर व मौजा –लीलासर, पटवार मण्डल – कोलु, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत ख. नं. 632 रकबा 4.9754 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 /– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु
दिनांकः– 30/11/21

क्रमांक / वाद / 2021 / 1383-87

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का कोलु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री गंगाराम पुत्र भैराराम वगैरा 2
4. विप्रार्थी श्री आईदानसिंह पुत्र शैतानसिंह वगैरा 32
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:15:37 IST
Reason: SelfAttested